

कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा


// आवश्यक सूचना //

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक छात्रवृत्ति/आ.वि./2024-25/2723 दिनांक 10.09.2023 के अनुसार शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आनलाईन पंजीयन हेतु वेबसाइट <http://postmatric.scholarship.cg.nic.in> में दिनांक 30.10.2024 तक पोर्टल खुला है संबंधित छात्र/छात्रा आनलाईन पंजीयन करते हुए आवेदन पत्र की हार्ड निम्नलिखित अभिलेखों सहित छात्रवृत्ति प्रभारी के पास अथवा छात्रवृत्ति शाखा विधिक सहायता केन्द्र में कार्यालयीन समयानुसार समय 10.30 से 2.00 एवं 3.00 बजे से 5.00 बजे तक जमा करें। संबंधित छात्र छात्रा आनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करा लें। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में छात्रवृत्ति भुगतान प्राप्त नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात छात्रवृत्ति संबंधी आवेदन महाविद्यालय में जमा नहीं लिए जाएंगे।

आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें :-

01. आवेदन पत्र की हार्ड कापी
02. किसी अन्य योजना की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र
03. आधार कार्ड की छायाप्रति ।
04. पिछली कक्षा उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति ।
05. छ.ग.का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति
06. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
07. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
08. चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र ।
09. बैंक पास बुक की छायाप्रति
10. प्रवेश रसीद की छायाप्रति ।

आय सीमा - रु. 2.50 लाख अधिकतम अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए
रु. 1.00 लाख अधिकतम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ।


प्राचार्य
राजीव गांधी शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा